न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 29/2021

आबिद अली पुत्र श्री हुसैन अली, निवासी वार्ड नं0 40, मौहल्ला इलाहियान, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं 333001

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 25.02.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 29/2021 पर दिनांक 18.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/755—756 दिनांक 18.02.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक 73 दिनांक 24.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2021 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा राशन कार्ड संख्या 116204000482 जो कि खाद्य सुरक्षा से जुडा हुआ है। इस राशनकार्ड से प्रार्थी द्वारा गेहूं लेने से संबंधित शिकायत की प्रति चाही गई थी। प्रार्थी को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना मे गेहूं लेने की शिकायत दूरभाष से प्राप्त हुई थी एवं वर्तमान मे जिला रसद अधिकारी की एस0एस0ओ0 आई0डी0 पर विभाग से प्राप्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित नोटिस सूची मे भी प्रार्थी का नाम प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) झुंझुनूं के पत्रांक 73 दिनांक 24.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना चाहने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2021 को कार्यालय मे प्राप्त हुआ था। प्रार्थी द्वारा राशन कार्ड संख्या 116204000482 जो कि खाद्य सुरक्षा से जुडा हुआ है। इस राशनकार्ड से प्रार्थी द्वारा गेहूं लेने से संबंधित शिकायत की प्रति चाही गई थी। प्रार्थी को अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद खाद्य सुरक्षा योजना मे गेहूं लेने की शिकायत दूरभाष से प्राप्त हुई थी एवं वर्तमान मे जिला रसद अधिकारी की एस0एस0ओ0 आई0डी0 पर विभाग से प्राप्त सरकारी कर्मचारी से संबंधित नोटिस सूची मे भी प्रार्थी का नाम प्राप्त हुआ है जिसकी प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/02/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं